विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
नेट-ब्यूरो

कोड नं. : 14

विषयः लोक प्रशासन

पाठ्यक्रम

1. **लोक प्रशासन का परिचय :** लोक प्रशासन- अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र एवं महत्व; विषय का उद्भव एवं वर्तमान स्थिति; राजनीति-प्रशासन द्विभाजन; भूमण्डलीकरण एवं लोक प्रशासन; सरकार से शासन प्रतिमान की ओर प्रतिस्थापन; संगठन के सिद्धान्त : कार्य-विभाजन; पदसोपान; समन्वय; आदेश की एकता; नियंत्रण का क्षेत्र; सत्ता; शक्ति एवं उत्तरदायित्व; प्रत्यायोजन, केन्द्रीयकरण और विकेन्द्रीकरण; सूत्र, मंत्रणा और सहायक अभिकरण; निर्णयन; नेतृत्व और पर्यवेक्षण; सम्प्रेषण, कार्मिक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति तथा क्षेत्र; वर्गीकरण, भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति, वेतनमान तथा सेवा-शर्तें, अनुशासन, सिविल सेवा तटस्थता, अनामिता तथा प्रतिबद्धता, व्यवसायिक संघ तथा संघवाद

2. **प्रशासनिक चिन्तन :** लोक प्रशासन के अध्ययन के उपागम; प्राच्य- कौटिल्य; शास्त्रीय-एफ.डब्ल्यू टेलर, हेनरी फेयोल, मेक्स वेबर, लूथर गुलिक, लैण्डल उर्विक; मानव सम्बन्ध-एल्टन मेयो, मेरी पार्कर फोलेट; व्यवहावाद-चेस्टर बर्नार्ड, हरबर्ट साइमन; अभिप्रेरणा-अब्राहम मास्लो, फ्रेडरिक हर्जबर्ग, डगलस मेक्ग्रेगर; सगंठनिक मानववाद – क्रिस आरजरिस, रेनसिस लिकर्ट; प्रशासन के लेखक – ड्वाइट वोल्डो, फेरल हैडी, राबर्ट गोलाम्बिव्यसकी तथा पीटर ड्रकर; मिनौब्रुक संदर्भ, नवीन लोकसेवा और उतर-आधुनिकवाद।

3. **भारतीय प्रशासन :** उद्भव-प्राचीन, मुगल तथा ब्रिटिश काल संवैधानिक रूपरेखा : संसदीय तथा संघीय विशेषताऐं। संघीय सरकार : राष्ट्रपति; प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद; मंत्रिमण्लीय समितियाँ; केन्द्रीय सचिवालय, मंत्रिमण्डील सचिवालय तथा प्रधानमंत्री कार्यालय। निर्वाचन आयोग तथा चुनावी सुधार, संघ-राज्य सम्बन्ध, जवाबदेयता : विधायी, कार्यपालिक तथा न्यायिक। नागरिक शिकायत निवारण तंत्र : लोकपाल; लोकयुक्त, केन्द्रीय सतर्कता आयोग तथा नियामकीय प्राधिकरण। बहस के मुद्दे (क्षेत्र): राजनीतिज्ञ तथा सिविल सेवक सम्बन्ध, सामान्यज्ञ तथा विशेषज्ञ बहस; तथा भ्रष्टाचार प्रतिरोधन। सिविल सेवाऐं : वर्गीकरण-अखिल भारतीय

सेवाऐं, केन्द्रीय सेवाऐं तथा राज्य सेवाऐं; भर्ती अभिकरण-संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग तथा अन्य आयोग तथा मण्डल; सिविल सेवकों का सामर्थ्य निर्माण तथा सिविल सेवा सुधार; नियोजन : योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, नीति आयोग, राज्य योजना आयोग / मण्डल तथा योजना विभाग। न्यायपालिका : भारतीय संविधान तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता : सर्वोच्च न्यायालय; उच्च न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन तथा जन हित याचिकाऐं तथा न्यायिक सुधार; पुलिस प्रशासन तथा सुधार। भारतीय प्रशासन में ई-शासन पहल।

4. **राज्य एवं स्थानीय प्रशासन :** राज्य प्रशासन की संवैधानिक रुपरेखा – राज्य विधायिका; राज्यपाल – भूमिका तथा कार्य; मुख्यमंत्री-शक्तियाँ तथा कार्य; मंत्री परिषद; एवं मुख्य सचिव की भूमिका एवं कार्य; राज्य सचिवालय; निदेशालय तथा आयुक्तालय; जिला प्रशासन – अवधारणा तथा उद्भव; उपायुक्त / जिला क्लेक्टर – शक्तियाँ, कार्य तथा परिवर्तित भूमिका; स्वायत जिला परिषदें – संरचना, शक्तियाँ, कार्य तथा परिवर्तित भूमिका; जिला ग्रामीण विकास अभिकरण; भारत में स्थानीय शासन का उद्भव, स्थानीय शासन: तेहतरवाँ तथा चोहतरवाँ संविधान संशोधन अधिनियम, राज्य निर्वाचन आयोग; राज्य वित्त आयोग; जिला नियोजन समिति; ग्रामीण शासन- ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषदें, पंचायती राज संस्थाओं में वित्त, स्थानीय स्तर पर कार्मिक प्रशासन, ग्रामीण विकास की नीतियाँ तथा कार्यक्रम-महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम, शहरीकरण की वृद्धि, शहरी शासन- नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत की संरचना, स्वरूप, कार्य तथा महानगरीय शासन- वित्त के स्रोत, क्रार्मिक प्रशासन, शहरी शासन में सुधार – ठोस अवशिष्ठ प्रबन्ध, स्मार्ट तथा अमृत शहर।

5. **तुलनात्मक तथा विकास प्रशासन-:** तुलनात्मक लोक प्रशासन की अवधारणा, प्रकृति, क्षेत्र तथा महत्त्व; लोकप्रशासन तथा उसका पर्यावरण, तुलानात्मक प्रशासन के अध्ययन के उपागम तथा विधियाँ; सांस्थानिक, व्यवहारवाद, संरचनात्मक-कार्यात्मक, पर्यावरणीय तथा व्यवस्था उपागम, फ्रेड रिग्ज की समाजों की प्रकारणा और उनकी विशेषताऐं; तुलनात्मक शोध की समस्याऐं; तुलनात्मक अध्ययन –भुमण्डलीकरण का प्रभाव; इंग्लैण्ड, अमेरिका, फ्रांस तथा जापान की प्रशासनिक व्यवस्थाओं की प्रमुख विशेषताऐं।

   विकास प्रशासन : विकास तथा इसके आयाम, विकास तथा आधुनिकीकरण, स्थायी विकास लक्ष्य (एस डी जी) – यू एन डी पी; विकास प्रशासन : अवधारणा, प्रकृति, क्षेत्र, उद्देश्य, विशेषताएँ तथा महत्त्व; विकास प्रशासन का पर्यावरण, फ्रेड रिग्ज, डवाइट वाल्डो तथा इडवर्ड वीडनर का योगदान, विकास में नौकरशाही की भूमिका, भूमण्डलीकरण तथा विकास प्रशासन, विकास प्रशासन में गैर-राज्य कर्ताओं का आविर्भाव, लोक-निजी सहभागिता, निगामित सामाजिक उत्तरदायित्व, मानव विकास संकेतांक तथा सामाजिक अंकेक्षण

6. **आर्थिक तथा वित्तीय प्रशासन :** आर्थिक नीतियाँ- मिश्रित अर्थव्यवस्था से उदारीकरण, निजीकरण तथा भूमण्डलीकरण (एल.पी.जी.) नवीन आर्थिक नीति (एन ई पी) ; स्वतंत्रता के पश्चात् से

औद्योगिक नीति; व्यवसाय में सरकार- लोक उपक्रम-अवधारणा, लोक उपक्रमों की वृद्धि तथा प्रारूप; प्रबन्ध, जवाबदेयता तथा स्वायतता की समस्याऐं; विनिवेश नीतियाँ।

वित्तीय प्रशासन : लोक वित्त – राजस्व तथा व्यय; वित्तीय प्रशासन की प्रकृति, क्षेत्र तथा महत्व; बजट-अर्थ, उद्देश्य तथा महत्त्व; बज़टीय प्रक्रिया –निर्माण, अधिनियमन तथा क्रियान्वयन; बजट के प्रकार- पी. पी. बी. एस., निष्पादन बजट, शून्य आधारित बजट तथा लिंग आधारित बजट; राजस्व उतरदायित्व तथा बजट प्रबन्ध अधिनियम (एफ आर बी एम ए) तथा सूर्यास्त विधायन। राजस्व संघवाद- संघ राज्य वित्तीय सम्बन्ध, वित्त आयोग। वित्तीय नियंत्रण- विधायी तथा कार्यपालिका; संसदीय समितियाँ तथा भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, करारोपण नीतियाँ – करारोपण के सिद्धान्त- प्रगातिशील तथा आनुपातिक करारोपण- करारोपण नीतियों में सुधार।

7. **सामाजिक कल्याण प्रशासन :** सामाजिक कल्याण, सामाजिक न्याय तथा सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा; सामाजिक न्याय में समानता तथा समावेषण की अवधारणा, सकारात्मक कार्यवाही की अवधारणा-आरक्षण; सामाजिक कल्याण तथा सामाजिक न्याय प्रशासन हेतु सांस्थानिक व्यवस्था; गैर-सरकारी, नागरिक समाज, संगठन तथा स्वैच्छिक संगठन; अनुसुचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / महिलाओं / बच्चें / वृद्ध / पृथकतः योग्य (द्विव्यागं) तथा अल्पसंख्यक के लिए नीतियाँ, कार्यक्रम तथा सांस्थानिक रूपरेखा। महिलाओं, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यकों – के आयोगों की भूमिका तथा कार्य।

   आपदा प्रबन्धन- आपदा की प्रकृति तथा प्रकार, आपदा प्रबन्धन की संस्थागत व्यवस्था; राज्य तथा गैर-राज्य कर्ताओं की भूमिका।

8. **लोक नीति :** लोक नीति का अर्थ, प्रकृति तथा महत्व; लोक नीति तथा नीति विज्ञान का उद्भव; लोक नीति तथा लोक प्रशासन। लोक नीति के उपागम – प्रक्रिया उपागम, तार्किक प्रत्यक्षवाद, घटनात्मक उपागम, सहभागी तथा आदर्शमूलक उपागम, नीति-निर्माण के सिद्धान्त एवं प्रतिमान- हेराल्ड लॉसवेल, चार्ल्स लिण्डबॉम, येज्केल ड्रोर, गेवरियल आलमण्ड, नीति निर्माण संस्थाए- विद्यायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, नीति विश्लेषण के प्रकार-अनुभवमूलक, आदर्शमूलक, भूतलक्षी तथा प्रत्याशित (भावी), नीति क्रियान्वयन निष्कर्ष (परिणाम) और मूल्यांकन। लोक नीति के अवरोध-सामाजिक आर्थिक, राजनीतिक, सांस्थानिक तथा सांस्कृतिक। नीति निर्माण में संचार माध्यम, जनमत, नागरिक समाज तथा दबाव समुहों की भूमिका।

9. **शासन तथा सुशासन :** प्राचीन संवाद – सुशासन कौटिल्य, प्लेटो तथा अरस्तु के सुशासन सम्बन्धी विचार; सुशासन के तत्व एवं प्रारूप; सुशासन के सिद्धान्त तथा अवधारणा – विश्व बैंक तथा यू.एन.डी.पी, राज्य, बाजार तथा नागरिक समाज, लोक चयन सिद्धान्त, नव लोक प्रबन्ध, लोक मूल्य सिद्धान्त, शासन सिद्धान्त के रूप में, शासन तथा लोक शासन। तंत्र व्यवस्था (नेटवर्किंग) तथा सहयोगी शासन; आई.सी.टी तथा शासन – ई-सरकार तथा ई-शासन, ई-तत्परता, आंगुलिक विभाजन; जवाब देयता, खुलापन तथा पारदर्शिता, लिंग तथा शासन, नागरिक एवं शासन: नागरिक समाज – भूमिका एवं सीमाएं; जन सहभागिता, सूचना का अधिकार – सूचना का अधिकार अधिनियम तथा प्रशासनिक सुधार। राष्ट्रीय सूचना आयोग। नागरिक अधिकार पत्र – अवधारणा उद्देश्य तथा महत्त्व। नैतिकता तथा जन जवाब देयता : विधि का शासन तथा

प्रशासनिक विधि, प्रत्योजित विधान तथा प्रशासनिक न्याय-निर्णय (अधिनिर्णयन)। शासन के नैतिक आधार – संवैधानिक मूल्य, परिवार, समाज, तथा शिक्षा।

10. **शोध प्रविधि :** सामाजिक विज्ञान अनुसंधान – अर्थ तथा महत्व; प्रविधि तथा विधियो में अन्तर (विभेद), शोध में तथ्य तथा मूल्य; सिद्धान्त निर्माण में शोध की भूमिका; वैज्ञानिक विधि, सामाजिक अनुसंधान में निष्पक्षता, शोध के प्रकार, शोध समस्या की पहचान, उपकल्पना तथा नकारात्मक उपकल्पना; उपकल्पना का पुष्टिकरण, शोध प्रारूप; तथ्य संकलन की विधियाँ- प्राथमिक तथा द्वितीयक स्रोत-अवलोकन, प्रश्नावली तथा साक्षात्कार, पुस्तकालय तथा इंटरनेट का उपयोग, निदर्शन तथा निदर्शन विधियाँ, मापन के पैमाने; तथ्यों का विश्लेषण तथा सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में कम्प्यूटर का उपयोग-एस पी एस एस; उद्धरण पद्धति तथा अनुसंधान में नैतिकता; सन्दर्भ ग्रंथ सूची, प्रतिवेदन लेखन।